सं. ए-12018/34/2017-एमई
भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

केन्द्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान, रांची में रेडियोग्राफर के पद के लिए प्रारुप भर्ती नियमों पर सार्वजनिक सूचना

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13.10.2015केका.ज्ञा.सं.एबी.14017/61/2008-एस्ट (आरआर) के अनुपालन में, केन्द्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान, रांची में रेडियोग्राफर के पद के लिए प्रारुप भर्ती नियम संलग्न हैं।

प्रारुप भर्ती नियमों पर आपत्ति/टिप्पणी करने या सुझाव देने के इच्छुक व्यक्ति (स्टेक होल्डर्स) अपनी आपत्ति/टिप्पणी या सुझाव इन प्रारुप भर्ती नियमों के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की अवधि के अंदर लिखित रूप में श्री अजय कुमार केपी, अवर सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, कमरा नं. 521-ए, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110108 को या ई-मेल पते: ajaya59@gmail.com पर भेज सकते हैं।

(अजय कुमार केपी)
अवर सचिव, भारत सरकार
टेलीफोन: 011-23061342

नई दिल्ली
दिनांक:

सं. ए-12018/34/2017-एमई

अनुलग्नक

क्र.सं.	अनुसूची के अनुसार	वर्तमान भर्ती नियमों में प्रावधान	प्रस्तावित भर्ती नियमों में संशोधित प्रावधान	परिवर्तन के कारण/ टिप्पणी
1.	पद का नाम	रेडियोग्राफर	रेडियोग्राफर	
2.	पदों की सं.	1	1* (कार्य-भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	
3.	वर्गीकरण	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	
4.	वेतनमान (वेतन अब वेतन मैट्रिक्स में)	रु. 1200-30-1560-ईबी-40-2040 (चौथा के.वे.आ.) रु. 4000-100-6000 (पाचवां के.वे.आ.) रु. 5200-20200, जीपी रु. 2400 (छठा के.वे.आ.)	वेतन मैट्रिक्स का लेवल-5 (रु. 29200)	पद को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिनांक 03.03.2014 के पत्र के माध्यम से पुनर्जीवित किया गया था। (प्रति संलग्न है) और पद का वेतनमान पीबी-1 + रु. 2800 में उन्नत किया गया है। तदनुसार पद को सातवें के.वे.आ. पे मैट्रिक्स लेवल-5 में रखा गया है।
5.	क्या चयन पद अथवा अचयन पद	अचयन	अचयन	
6.	सीधे भर्ती के लिए आयु-सीमा	18-25वर्ष	प्रोन्नति वाले पद के लिए आयु सीमा लागू नहीं है। किंतु सीधे भर्ती व्यक्तियों के मामले में यह 18-27 वर्ष के बीच होगी। (केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार उच्च आयु सीमा विभागीय आवेदकों के लिए 40 वर्ष की आयु तक शिथिलनीय है) टिप्पणी: सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा के निर्धारण की तारीख वह	

			होगी जो भारत के उम्मीदवारों से आवेदन पत्र स्वीकार करने की अंतिम तारीख है (और न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू -कश्मीर राज्य के लद्दाख प्रभाग, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिले और चंबा जिले के पांगी उप-प्रभाग तथा अंडमान एवं नीकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के लिए आवेदनपत्र स्वीकार करने की अंतिम तारीख)	
7.	सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षणिक तथा अन्य अर्हता	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मैट्रिकुलेशन या समकक्ष अर्हता। (ii) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से रेडियोग्राफी में डिप्लोमा या प्रमाण पत्र वांछनीय: किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में रेडियोग्राफर के रुप में 1वर्ष का अनुभव	प्रोन्नति वाले पद के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हता लागू नहीं है। किंतु सीधे भर्ती व्यक्तियों के लिए यह निम्नानुसार होगी: 1. मैट्रिकुलेशन या सकक्ष अर्हता और किसी मान्यता प्राप्त संस्था से रोडियोग्राफी में डिप्लोमा या प्रामाण पत्र 3. किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में रेडियोग्राफर के रुप में 1वर्ष का अनुभव।	
8	क्या सीधे भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी।	लागूनहीं	लागूनहीं	
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई	2 वर्ष	कोई परिवीक्षा नहीं	कार्मिक एवं प्रशिक्षण

	हो।		2 वर्ष (यदि सीधी भर्ती है)	विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या एबी-14017/48/2010-एस्ट (आरआर) दिनांक 31.12.2010 के दिशा-निर्देशों के अनुसार , यदि प्रोन्नति समान पद समूह में की जाती है तो कोई परिवीक्षा नहीं होगी।
10.	भर्ती की पद्धति: क्या सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धत्तियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति द्वारा, अन्यथा सीधी भर्ती द्वारा	प्रोन्नति द्वारा, अन्यथा सीधी भर्ती द्वारा	
11.	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	प्रोन्नति: केन्द्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान के डार्क रुम सहायक जो ग्रेड में 7 वर्ष की नियमित सेवा रखते हैं।	प्रोन्नति: केन्द्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान के डार्क रुम सहायक जो ग्रेड में 7 वर्ष की नियमित सेवा रखते हैं।	
12.	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	विभागीय प्रोन्नति समिति: 1. संस्थान के चिकित्सा अधीक्षक अथवा निदेशक-अध्यक्ष 2. सुपर टाइम ग्रेड-1 अधिकारी- सदस्य 3. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी- सदस्य	विभागीय प्रोन्नति समिति: 1. संस्थान के निदेशक-अध्यक्ष 2. सुपर टाइम ग्रेड-1 अधिकारी- सदस्य 3. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी- सदस्य	
13.	भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।	लागू नहीं	लागू नहीं	